(25)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, मेडिकल कालेज रोड, रायपुर
(शाखा – अनुवीक्षण / मूल्यांकन)
दूरभाषः 0771–2886425 ई मेल–ccfmecg@yahoo.in

क्रमांक / अनु. / मूल्यांकन / 119 रायपुर, दिनांक 25/03 /2014

प्रति,

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) (रायपुर / बिलासपुर / दुर्ग / अम्बिकापुर)
2. वनसंरक्षक (क्षेत्रीय) (कांकेर / जगदलपुर)
3. समस्त क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी
4. वनमंडलाधिकारी (अनुसंधान एवं विस्तार) बिलासपुर व रायपुर

विषयः– **वृक्षारोपणों की मॉनिटरिंग जी.आई.एस. पद्धति से करने बाबत्।**
संदर्भ :– **छ.ग. शासन वन विभाग का आदेश क. एफ 2–7/2013/10–2/बजट दिनांक 18.02.2014।**

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वन विभाग द्वारा संचालित समस्त वृक्षारोपण कार्य एवं उससे संबंधित कार्य के अभिलेखन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु जी.आई.एस. पद्धति का उपयोग तत्काल प्रभाव से किया जाए। इस हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी E-Greenwatch Operation Guidelines का पालन सुनिश्चित किया जाये।

अतः शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वन विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही तत्काल प्रभाव से किया जाना हैः–

1. रायपुर स्थित एफ.एम.आई.एस. वनमंडल राज्य स्तरीय जियोमैटिक सेंटर के तौर पर कार्य करेगा तथा प्रत्येक क्षेत्रीय वन वृत्त के मुख्यालय में 01–01 जियोमैटिक सेंटर की स्थापना की जा रही है। इन केन्दों का उपयोग इस कार्य हेतु किया जाना है।
2. इस कार्य हेतु प्रत्येक क्षेत्रीय वनमंडल के 01 सहायक वनसंरक्षक तथा 02 परिक्षेत्र अधिकारी को प्रशिक्षित किया जाना है, यह टीम स्पीअरहेड टीम के तौर पर कार्य करेगी जो अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे।
3. समस्त डिप्टी रेंजर / वनपाल तथा वनरक्षकों को इस कार्य हेतु चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जायेगा, जो वृक्षारोपण क्षेत्र से संबंधित समस्त जानकारी संकलित करेंगे। प्रथम चरण में उन वनरक्षकों को प्रशिक्षित करना है, जो वर्ष 2014 में वृक्षारोपण कार्य संपन्न करेंगे। अतः वर्ष 2014 में वृक्षारोपण कार्य करने वाले स्पीअरहेड टीम एवं वनरक्षकों की सूची तत्काल बनाया जाये। उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में निर्णय होते ही आपको अवगत करा दी जावेगी।
4. प्रत्येक वृक्षारोपण के जानकारी पोर्टल में प्रदर्शित करने हेतु निम्न प्रपत्र 'A' में जानकारी संकलित की जावेगी।

<u>वर्षवार, योजनावार एवं वृक्षारोपणवार विवरण, प्रपत्र 'A'</u>

क्र.	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	योजना का नाम	वृक्षारोपण वर्ष	वृक्षारोपण स्थल का नाम	रोपण क क्षेत्रफल	जी.पी.एस. कोआर्डीनेट			कुल रोपित पौधे प्रजातिवार		प्रोजेक्ट अनुसार कुल व्यय	विशेष विवरण
										प्रजाति	संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							point	Latitude	Longitude				
							1						
							2						
							3						

(26)

उपरोक्त जानकारी के अतिरिक्त वृक्षारोपण क्षेत्र के नक्शा बनाया जावे, जिसमें सभी मुख्य बिन्दु जैसे वृक्षारोपण सीमा विभिन्न बिन्दु उपचारित क्षेत्र एवं अन्य बिन्दु। इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण के छायाचित्र प्रतिवर्ष माह अक्टूबर में तीन/चार चित्र लिये जाकर पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। इस हेतु परिक्षेत्राधिकारी द्वारा अच्छा छायाचित्रकार से छायाचित्र लिया जाकर वनमंडल कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे, जिसको एफ.एम.आई.एस. डिवीजन में भेज कर पोर्टल में प्रदर्शित की जावेगी।

उपरोक्त प्रपत्र में वृक्षारोपण संपन्न कराये गये वनरक्षक, वनपाल द्वारा प्रविष्ट किया जावेगा, ततपश्चात् वे परिक्षेत्र अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। जी.पी.एस. कोआर्डिनेट का रीडिंग लेने हेतु जी.पी.एस. मशीन की आश्यकता परिक्षेत्रवार संकलित कर वनमंडलाधिकारी आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर खरीदी की कार्यवाही करेंगे।

5. परिक्षेत्र स्तर पर उपरोक्तानुसार जानकारी एकत्रित कर वनमंडल स्तरीय टीम को उपलब्ध करायेगी। जिसका परीक्षण तथा संकलन कर वनमंडल स्तरीय जानकारी एफ.एम.आई.एस. को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रथम वर्ष में ये जानकारी ऑनलाइन नहीं भेजी जायेगी। आगामी वर्षों में व्यवस्था पुख्ता हो जाने पर ऑनलाइन जानकारी प्राप्त की जायेगी। वनमंडलाधिकारी द्वारा जानकारी एफ.एम.आई.एस. वनमंडल को 30 नवम्बर तक उपलब्ध करायेंगे।
6. वृक्षारोपण के पोर्टल में समस्त प्रकार के वृक्षारोपण की योजनाओं को सम्मिलित किया जावेगा।
7. यह कार्य वर्ष 2014 के वर्षा ऋतु में निर्मित किये जाने वाले वृक्षारोपण से आरम्भ किया जाना है। अतः वर्ष 2014 के रोपणों की जानकारी पोर्टल हेतु वनमंडलाधिकारियों द्वारा 30 नवम्बर 2014 तक एफ.एम.आई.एस. वनमंडल को उपलब्ध करायी जावे।
8. वृक्षारोपण के उपरोक्तानुसार जी.आई.एस. पद्धति से मॉनिटरिंग पर आने वाले व्यय के लिए वृक्षारोपण के प्रोजेक्ट में कुल कॉस्ट का 01 प्रतिशत का प्रावधान रखा जाये।
9. मॉनिटरिंग की कार्यवाही हेतु विकास/योजना शाखा, कैम्पा शाखा, संयुक्त वन प्रबंधन शाखा तथा अन्य वृक्षारोपण कार्य से संबंधित शाखा वांछित जानकारी अनुश्रवण/मूल्यांकन शाखा को उपलब्ध करायी जायेगी। वर्ष 2014 के रोपण पूर्व तैयारी की जानकारी 30 अप्रैल तक निम्न प्रपत्र में उपलब्ध करायी जावे।

वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	रोपण का स्थल	रोपण का क्षेत्रफल (हे.)	रोपण का प्रकार (सागौन/मिश्रित/बॉस/ऑवला)
1	2	3	4	5

चूँकि वृक्षारोपण कार्य विभाग का एक महत्वपूर्ण गतिविधि है तथा उसकी मॉनिटरिंग एक नये पद्धति से किया जाना है, अतः उल्लेखित समस्त कार्य के लिए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर
25-3-14

पृ.क्रमांक/अनु./मूल्यांकन/ 120 रायपुर, दिनांक 25/03/2014

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना), छ.ग. रायपुर।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), छ.ग. रायपुर।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आई.टी.), छ.ग. रायपुर।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), छ.ग. रायपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान व विस्तार) छ.ग. रायपुर
6. वन संरक्षक एफ.एम.आई.एस. डिवीजन, छ.ग. रायपुर।

को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना) के पत्र क्र./वि.यो./नि.सहा./बैठक/981, दि. 06.03.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर
25-3-14